प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय
ललितपुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पत्रांक– /सिं0नि0ख0–3/ल0/ दिनांक,

विषय– लोअर रोहिणी बांध जलाशय में मत्स्य आखेट के नीलामी की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले लोअर रोहिणी बांध के जलाशय में मत्स्य आखेट नीलामी की सूचना इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संलग्न सूचना का प्रकाशन राज्य स्तर एवं स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में एक दिन के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित कराने की कृपा करें तथा प्रकाशन की एक–एक प्रति पुष्टि हेतु इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रकाशन हेतु सूचना की छः प्रतियों एवं सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–1– नीलामी सूचना छः प्रतियॉ
2– सी0डी0 एक अदद।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय
ललितपुर।

पत्रांक– /सि0नि0ख0–3/ल0/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य अभियन्ता (बेतवा/परियोजना) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 झॉसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सी0डी0 सहित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, झाँसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, ललितपुर
5. जिलाधिकारी, ललितपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
7. मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर।
8. अपर जिलाधिकारी, ललितपुर।
9. उपजिलाधिकारी, तालबेहट/ललितपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड ललितपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड द्वितीय झॉसी।
12. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, माताटीला।
13. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड–प्रथम एवं द्वितीय ललितपुर।
14. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड–लोक निर्माण विभाग, ललितपुर।
15. जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर।
16. जिला पंचायत अधिकारी, ललितपुर।
17. सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य विभाग, ललितपुर।
18. सहायक अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ एवं पंचम, सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय, ललितपुर
19. जिलेदार, सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय, ललितपुर को स्थानीय प्रचार प्रसार हेतु।
20. नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय
ललितपुर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय, ललितपुर

मत्स्य आखेट नीलामी सूचना सं0 02/2018–19 (तृतीय कॉल)

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित जलाशय में मतस्य आखेट की नीलामी के लिये शासनादेश सं0 1829/09–27–सिं0–3–3 (16) 97, दिनांक 23.06.2009 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय, ललितपुर में मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट की नीलामी के द्वारा उसके सम्मुख अवधि हेतु दिनांक 18.07.2018 को समय 11.30 बजे पूर्वान्ह स्थान – ''कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय, ललितपुर'' में की जायेगी।

नीलामी हेतु निम्नांकित शर्तों को पूरा करने वाले मत्स्य जीवी सहकारी समिति के साथ–साथ अन्य ठेकेदार भी प्रतिभाग कर सकेंगे। पूर्व नीलामी में अधिकतम बोलीकर्ता/ठेकेदार/समिति के अध्यक्ष व सदस्य जो शासनादेश/शरायत नीलामी शर्तों का अनुपालन न करने तथा अनुबन्ध कराने में असफल रहे हैं, भाग नहीं ले सकेंगे। नीलामी/अधिकतम बोली की धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। जिन व्यक्तियों ने गत वर्षों में किसी भी अन्य खण्डों में किये गये अनुबन्धों के अनुसार मत्स्य नीलामी की वार्षिक धनराशि जमा नहीं की है, वे नीलामी की बोली में प्रतिभाग करने के अधिकारी नहीं होगें। इस आशय का नोटरी से प्रमाणित शपथ–पत्र पत्र नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों/फर्मों को देना होगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र एवं नीलामी की वार्षिक धनराशि बकाया न होने का शपथ–पत्र देना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु अनुपयुक्त माना जायेगा। नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त समस्त मूल अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मूल अभिलेख न प्रस्तुत किये जाने पर उनके पंजीयन निरस्त कराने एवं भविष्य में किसी भी नीलामी में प्रतिभाग करने पर प्रतिबंधित कार्यवाही प्रारम्भ कर काली सूची में डाल दिया जायेगा। नीलामी की अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय, ललितपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है। यह नीलामी सूचना वेबसाइट (http://upgov.up.nic.in) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (http://irrigation.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

क्र0 सं0	तालाब का नाम	जनपद का नाम	तहसील जिसके अन्तर्गत जलाशय स्थित है।	मत्स्य आखेट हेतु अनुबन्ध किये जाने की समयावधि	मत्स्य आखेट हेतु बोली की न्यूनतम धनराशि रू0 में	जमानत धनराशि रू0 में
1	लोअर रोहिणी बांध का जलाशय	ललितपुर	मड़ावरा	अनुबन्ध की तिथि से 30.06.2021	500000.00	125000.00

–शर्ते–

1– बोली बोलने वाले प्रत्येक सदस्य को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर चरित्र प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा प्रमाणित हो समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

2– प्रत्येक खरीददार को बोली बोलने के पूर्व जमानत धनराशि जो गठित समिति द्वारा निर्धारित की जोयगी जमा करनी होगी, जो नीलाम समाप्त होने पर वापिस हो सकेगी।

3– मत्स्य आखेट हेतु उच्चतम बोली बोलने वाली समिति/ठेकेदार को नीलामी समाप्त होने पर प्रथम वर्ष की बोली की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि पट्टा/अनुबन्ध के गठन की तिथि से तीन माह के अन्दर जमा करनी होगी। ठेकेदार/समिति को द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष तक ठेके की वार्षिक धनराशि 1/4 भाग 15 जून तक, 1/4 भाग 15 सितम्बर तक तथा अवशेष 1/2 भाग 15 दिसम्बर तक प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा निर्धारित समय के अन्दर वार्षिक किश्तों की अदायगी नहीं की जाती है, तो देय तिथि से ठेका समाप्त कर पुनः नीलाम किया जा सकता है।

4– जमानत धनराशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0, पोस्ट ऑफिस की एन0एस0सी0, किसान विकास पत्र मात्र स्वीकार किये जायेगें, जो ''अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय, ललितपुर'' के नाम बंधक हो।

5– नीलाम हेतु अन्य शर्ते अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय, ललितपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

कार्यालय – अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय, ललितपुर
दूरभाष–05176–276378
ई–मेल – ee.icd3.ltp@gmail.com

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड–तृतीय
ललितपुर

नीलामी हेतु शर्ते

1- मत्स्य आखेट की नीलामी की प्रक्रिया में मत्स्य जीवी सहकारी समिति के साथ-साथ ठेकेदार भी भाग लेगें। नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व नीलामी में भाग लेने वाले ठेकेदार/समिति के सदस्य चरित्र प्रमाण-पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा प्रमाणित हो समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि चरित्र प्रमाण-पत्र संतोषजनक होगा तभी उसे नीलामी में भाग लेन की अनुमति समिति द्वारा दी जायेगी।

2- नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ठेकेदार/मत्स्य जीवी सहकारी समिति में जिसकी भी बोली अधिक होगी उसके पक्ष में ठेका उचित बोली प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा।

3- समस्त बंधियों/बाँधों/जलाशयों की नीलामी तीन वर्ष तक के लिये की जायेगी। ठेके के प्रथम वर्ष की अवधि 01 जुलाई से 30 जून तक होगी। तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर ठेका स्वतः समाप्त हो जायेगा।

4- मत्स्य आखेट का ठेका, पट्टा एक मात्र नीलामी प्रक्रिया के द्वारा ही ठेकेदार/समिति को दिया जायेगा। नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले ठेकेदार/ समिति को ठेका स्वीकृत किया जायेगा और उसके पश्चात यदि अधिशासी अभियन्ता अपने विवेक का न्यायिक प्रयोग करते हुए यह पाता है कि ठेकेदार/समिति द्वारा नीलामी में लगायी गयी उच्चतम बोली कम है तो इसके बावजूद भी वह उस उच्चतम बोली के होते हुये भी अनुबन्ध करने के पूर्व उसे अस्वीकार करने का उसके पास पूरा अधिकार होगा। शासकीय हित में/जनहित में/अपरिहार्य परिस्थितियों में/ अवश्यम्भावी घटनाओं/ प्राकृतिक आपदा के घटित होने पर अधिशासी अभियन्ता अनुबन्ध हो जाने के बावजूद भी किसी भी समय ठेकेदार/समिति को एक सप्ताह पूर्व सूचना देकर निष्पादित अनुबन्ध को निरस्त कर सकता है। मत्स्य जीवी सहकारी ठेकेदार/समिति के द्वारा ठेका अनुबन्ध/संविदा नियमों के अनुसार उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरा जायेगा। स्टाम्प शुल्क संबंधित ठेकेदार/समिति द्वारा देय होगा। अनुबन्ध पत्र ठेकेदार/समिति तथा सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता के द्वारा हस्ताक्षरित कर निष्पादन किया जायेगा।

5- ठेकेदार/समिति को ठेके की अवधि की नीलामी धनराशि का 10% बतौर जमानत धनराशि सिंचाई विभाग के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। ठेका समाप्त होने के 6 माह उपरान्त जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

6- मत्स्य आखेट हेतु उच्चतम बोली बोलने वाले ठेकेदार/समिति को नीलामी समाप्त होने पर ठेके की प्रथम वर्ष की बोली की 50% धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तभी अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी तथा शेष 50% धनराशि पट्टा/अनुबन्ध के गठन की तिथि से तीन माह के अन्दर जमा करनी होगी। इसी प्रकार ठेकेदार/समिति को द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष तक ठेके की वार्षिक धनराशि का 1/4 भाग 15 जून तक, 1/4 भाग सितम्बर तथा अवशेष 1/2 भाग 15 दिसम्बर तक प्रत्येक वर्ष जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा निर्धारित समय के अन्दर वार्षिक किश्तों की अदायगी नहीं की जाती है तो देय तिथि से ठेका/अनुबन्ध समाप्त कर पुनः नीलाम किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई भी अपवाद मान्य नहीं होगा।

7- समिति/ठेकेदार को शिकारमाही हेतु केवल निर्धारित मानक के जालों का ही प्रयोग करने का अधिकार होगा, जिससे कि प्रतिबन्धित साइज/भार डेढ़ किलोग्राम से कम भारतीय मेजर कार्य महाशेर की मछली नहीं निकाली जा सकें। 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक जलाशय में शिकारमाही पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगी।

8- ठेकेदार/समिति द्वारा मत्स्य आखेट करते समय केवल एक मात्र मछली का ही आखेट किया जायेगा और प्रतिबन्धित जल जीवों का बिल्कुल शिकार नहीं किया जायेगा। मछली मारने हेतु विस्फोट पदार्थ एवं जहरीली दवाओं का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मछली मारने के लिए बिजली के करंट आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही जल एवं पर्यावरण को प्रदूषित किया जायेगा।

9- सिंचाई के लिए जलाशय से जल का संचालन सिंचाई विभाग के रोस्टर के अनुसार ही किया जायेगा और समिति या ठेकेदार द्वारा निर्मित अस्थाई संरचानाओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

10- यदि मत्स्य आखेट करने के उद्देश्य से ठेकेदार /मत्स्य जीवी सहकारी समिति द्वारा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालकर या डरा या आपराधिक बल प्रयोग की धमकी देकर जबरन बांधों/जलाशयों के गेटों को खोलकर सिंचन हेतु जमा की गई बहुमूल्य जल राशि को व्यर्थ में बहाया जाता है तो ऐसे ठेकेदार/समिति के साथ मत्स्य आखेट के लिये किये गये अनुबन्ध को अधिशासी अभियन्ता द्वारा तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और ऐसे विधि विरूद्ध कार्य एवं आचरण करने वाले ठेकेदार/समिति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अपराध प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर आपराधिक कार्यवाही संचालित की जायेगी तथा ठेकेदार/समिति द्वारा जो बहुमूल्य जलराशि

जबरदस्ती गेट खोलकर बाहर निकाली जायेगी तो निकाली गयी जलराशि का मूल्य आंकलित कर सम्पूर्ण मूल्य सम्बन्धित ठेकेदार/समिति से बकाया भू–राजस्व देय की भाँति जिलाधिकारी के माध्यम से वसूल की जायेगी। यदि ठेकेदार/समिति के उपर्युक्त विधि विरूद्ध कृत्य में सिंचाई विभाग के कर्मचारी/अधिकारी भी दुरभि संधि के तहत अन्तर्लिप्त पाये जाते है तो उनके विरूद्ध न केवल उ0प्र0 सहकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के प्राविधानों के तहत उन्हें निलम्बित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक जांच समिति संचालित कर उन्हें सम्यक् दण्ड से दण्डित किया जायेगा, वरन् इसके साथ ही साथ इनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही भी संचालित की जायेगी।

11– ठेकेदार/समिति को बाँधों/बन्धियों/जलाशयों के परिचालन में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। बंधी/बांधों/जलाशयों में किसी निर्माण कार्य अथवा वहॉ स्थित भवनों, वृक्षों आदि ठेकेदार/समिति द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। यदि क्षति पहुंचायी जायेगी तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार/समिति को वास्तविक क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

12– सिंचाई/वन अथवा अन्य विभाग के सर्विस रोड का प्रयोग करने की अनुमति सम्बन्धित विभाग से ठेकेदार/समिति की अपने स्तर से लेना होगा। सिंचाई विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वर्षा के दिनों में बन्धी के बैंक अथवा सर्विस रोड पर कोई मोटर गाड़ी ले जाने की कतई अनुमति नहीं दी जायेगी।

13– मछली के बाजार भाव के घटाव व बढ़ोत्तरी से ठेकेदारों को होने वाली हानि या लाभ की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की नहीं होगी और न ही हानि होने पर किसी प्रकार का मुआवजा सिंचाई विभाग द्वारा ठेकेदार/समिति को दिया जायेगा। बंधी में पानी का स्तर घटने के कोई भी प्रार्थना–पत्र विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। जलाशय में पानी का जल स्तर कम/ज्यादा होने के कारण मछली मारने में व्यवधान अथवा ठेके में लाभ/घटी की कोई जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की नहीं होगी। हानि होने के आधार पर ठेकेदार/समिति को अनुबन्ध निरस्त करने की मांग करने का अधिकार भी नहीं होगा।

14– मछली का शिकार सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि में मछली नहीं मारी जायेगी। मछली का आखेट करते समय किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर सिंचाई विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार/समिति का होगा। सम्पूर्ण क्षति की क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी ठेकेदार/समिति की होगी।

15- यद्यपि मछली निकालने का कोई कोटा निर्धारित नहीं होगा, परन्तु ठेकेदार/समिति द्वारा निकाली गयी मछली का ब्यौरा/तौल का विवरण रखा जायेगा और उसे मासिक उप राजस्व अधिकारी/ सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। मत्स्य विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह मछली मारने के दौरान या मछली मारने के बाद इस बात का निरीक्षण कर सकते है कि ठेकेदार ने मछली मारने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिबंधित जीव जन्तुओं का शिकार तो नहीं किया है। यदि ठेकेदार या समिति द्वारा प्रतिबंन्धित जीव जन्तुओं का शिकार किया जायेगा तो उसके विरूद्ध सुसंगत विधि के अन्तर्गत निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया अनुसार कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

16- ठेकेदार/समिति द्वारा मत्स्य आखेट हेतु लगाये गये श्रमिक एवं संयंत्रों की सुरक्षा तथा श्रम कानूनों का अनुपालन करने का पूर्ण दायित्व ठेकेदार/समिति का ही होगी, न कि सिंचाई विभाग का होगा।

17- ठेकेदार/समिति द्वारा सिंचाई विभाग को किसी भवन एवं भूमि का उपयोग अपने निजी व्यवसाय अथवा भण्डारण के लिए सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता/उपराजस्व अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा तथा इसके लिए उसे उचित प्रतिफल भी देना होगा।

18- नीलामी की प्रक्रिया के पश्चात उच्चतम बोली बोलने वाले ठेकेदार/समिति के साथ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा अनुबन्ध निष्पादित कर देने के पश्चात् उसका सम्पूर्ण विवरण देते हुये वह उसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर शासन/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता को देगें।

19- ठेकेदार/समिति तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग के मध्य अनुबन्ध हो जाने के पश्चात कोई विवाद उत्पन्न होने पर ठेकेदार या समिति, प्रकरण के विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत करेगा और दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्ति युक्त एवं पर्याप्त अवसर देते हुए प्रस्तुत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अपना निर्णय दे देगा। यदि अधीक्षण अभियन्ता के निर्णय से कोई पक्ष क्षुब्ध होता है तो उसे मुख्य अभियन्ता के पास प्रथम अपील तथा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के पास द्वितीय अपील करने का अवसर प्राप्त होगा। अपीलीय अधिकारी अपील प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर उस पर अपना निर्णय दे देंगे। अपील की सुनवाई करते समय दोनों पक्षकारों को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

20- उपर्युक्त अंकित शर्तों में से किसी भी शर्त का अतिलंधन करने पर अधिशासी अभियन्ता को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह मछली के पट्टे/ठेके को निरस्त करते हुए दोषी ठेकेदार/समिति के विरूद्ध संसुगत विधि के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए निवारक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करें।

21- ठेकेदार/समिति तथा सिंचाई विभाग के मध्य निष्पादित मत्स्य के पट्टे अनुबन्ध को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होने पर इसके अन्तिम निर्णय करने का अधिकार शासन के पास होगा, परन्तु इसके पूर्व क्षुब्ध पक्षकार उपर्युक्तानुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास अपील करेगा और अन्तिम विकल्प के तौर पर शासन में अपील करेगा। शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड-तृतीय
ललितपुर